अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2012

सा.का.नि. 613(अ).— राष्ट्रपति जी, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय, मुंबई में शत्रु संपत्ति उप अभिरक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

(1) इन नियमों का नाम शत्रु संपत्ति उप अभिरक्षक (भर्ती नियम) 2012 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान:- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं:-

उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :- वह व्यक्ति :-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, के साथ अनुबंध या विवाह किया है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ अनुबंध या विवाह किया है। उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्र सरकार का यह समाधान हो ज़ाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. छूट प्रदान करने की शक्ति: जहां केन्द्र सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, इन नियमों के निजी उपबंध में आदेश द्वारा छूट प्रदान कर सकेगी

6. व्यावृत्ति :- यह नियम समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसरण में अ.जा. व अ.ज.जा. तथा अन्य विशेष वर्गों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण आयु सीमा में ढील तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेंगे।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड और ग्रेड पे या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
भारत का शत्रु संपत्ति उप अभिरक्षक	1* (2012) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तन के अधीन	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड -3 (15600-39100 रु0) + ग्रेड वेतन 6600 रु0	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो,	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति द्वारा, जो भी हो या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	वह परिस्थितयां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।	
8	9	10	11	12	13	
लागू नहीं होता	प्रोन्नत किए जाने वाले	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर	**प्रोन्नति:** वेतन बैंड-2 9300-34800 रु0 + ग्रेड	समूह 'क' डी पी सी	हर अवसर पर संघ लोक सेवा	

	व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा	वेतन 4600 रु0 में 7 वर्ष की नियमित सेवा करने वाले शत्रु संपत्ति सहायक अभिरक्षक **टिप्पण-I:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण: 2:** प्रोन्नति के लिए कम से कम अर्हकारी सेवा गिनने के प्रयोजन के लिए दिनांक 01.01.2006 जिस तारीख से 6वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा लागू हुआ, से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग के	(i) संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष / सदस्य अध्यक्ष (ii) शत्रु संपत्ति अभिरक्षक मुम्बई, सदस्य (iii) निदेशक (आर)/उप सचिव (आर) गृह मंत्रालय, सदस्य	आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।	

2896 GI/12-3

			आधार पर समकक्ष ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा। प्रतिनियुक्ति: (क) केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी: (i) जिन्होंने मूल काडर में सदृश पद धारण किए हुए हैं या (ii) वेतन बैंड -3(15600 -39100+ग्रेड वेतन 5400 रु0 में 5 वर्ष की नियमित सेवा करने वाले अधिकारी। (iii) वेतन बैंड -2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन 4800 रु0 में 6 वर्ष की नियमित सेवा करने वाले अधिकारी। (iv) वेतन बैंड - 2, (9300 - 34800) ग्रेड वेतन 4600 रु0 में 7 वर्ष की नियमित सेवा करने वाले अधिकारी। **टिप्पण-1**: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।			

			टिप्पण-2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण-3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के प्रयोजन से 1 जनवरी, 2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा की गई सेवा (जिस तारीख से 6वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन ढांचे पर सेवा की गई) को समकक्ष ग्रेड वेतन या वतनमान में की गई सेवा जो कि वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है, इस के अतिरिक्त जहां एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमान को एक ग्रेड में सांझे ग्रेड वेतन या वेतनमान में मिलाया जाए और जहां यह लाभ केवल उन पदों के लिए हो जहां वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापित ग्रेड में हो।				

[फा. सं. 37/17/2008–ई.पी.]

एस. के. आहूजा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2012

G.S.R. 613(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of the Deputy Custodian of Enemy Property in the Office of the Custodian of Enemy Property for India, Mumbai, namely : -

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Deputy Custodian of Enemy Property for India Recruitment Rules 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and Pay Band and Grade Pay or Pay Scale . - The number of the said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule appended to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications. - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualifications. - No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules affect reservations, relaxation in age limits and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Deputy Custodian of Enemy Property.	1* (2012) *Subject to variation as per work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-3 (Rs.15600-39100) and Grade Pay Rs.6600/-.	Selection post.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Department Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two Year for promotees.	By promotion falling which by deputation	**Promotion.-** Assistant Custodian of Enemy Property having seven years of regular service in Pay Band - 2 (Rs.9300-34800) and Grade Pay of Rs.4600	Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering promotion	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each

2896 GI/12-4

			Note 1.- Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service. **Note 2.**- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an Officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission Recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the	consisting of .- (i) Chairman/ Member – Union Public Service Commission….. Chairman (ii) Custodian of Enemy Property, Mumbai….Member (iii)Director (R) or Deputy Secretary (R), Ministry of Home Affairs…. Member	occasion	

			corresponding grade pay/pay scale extended based on the Pay Commission. **Deputation.-** Officers of the Central Government - (a)(i) holding analogous posts in the parent cadre; or ii) with five years regular service in pay band – 3 (Rs.15600-39100) and grade pay of Rs.5400/- iii) with six years of regular services in pay band – 2 (Rs.9300-34800) and grade pay of Rs.4800. iv) with seven years of regular service in pay band – 2 (Rs.9300-34800) and grade pay of Rs.4600. **Note 1.-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.				

			Note 2.- The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application. **Note 3.-** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more then one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.			

[F. No. 37/17/2008-EP]

S. K. AHUJA, Under Secy.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 504] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 26, 2014/आश्विन 4, 1936

No. 504] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 26, 2014/ASVINA 4, 1936

गृह मंत्रालय

(स्वतंत्रता सेनानी एवं पुनर्वास प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2014

सा.का.नि. 695(अ).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति दिनांक 30 जुलाई, 2012 की अधिसूचना सं.सा.का.नि. 613(अ), के अंतर्गत अधिसूचित भारत के शत्रु संपत्ति उप-अभिरक्षक पद के लिए एतद्वारा विद्यमान भर्ती नियमों में मुद्रण संबंधी त्रुटियों को ठीक करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

'विद्यमान भर्ती नियमों में कालम 11 में प्रतिनियुक्ति संबंधी पात्रता शर्तों को विद्यमान प्रावधानों के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है: —

प्रतिनियुक्ति:

केन्द्रीय सरकार के वे अधिकारी जो —

(क) (i) मूल संवर्ग में सदृश पद धारण किए हुए हैं

या

(ii) वेतन बैंड-3 (15,600-39100 रु.) और ग्रेड वेतन 5400 रु. में पांच वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हैं

या

(iii) वेतन बैंड-2 (9300-34800 रु.) और ग्रेड वेतन 4800 रु. में छः वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हैं

या

(iv) वेतन बैंड-2 (9300-34800 रु.) और ग्रेड वेतन 4600 रु. में सात वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हैं।

टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य बाह्य संवर्ग में धारित पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : समान ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान में एक ग्रेड में एक से अधिक पूर्व-संशोधित वेतनमान का आमेलन और जहां यह लाभ केवल उन्हीं पद (पदों) के लिए होगा जिनके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हैं, को छोड़कर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा (वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर संशोधित वेतन संरचना प्रदान की गई है) वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदत्त समनुरूपी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवाओं के समान मानी जाएगी।

[फा.सं. 37/17/2008-ई.पी.]

के. के. पाठक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Freedom Fighters and Rehabilitation Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2014

G.S.R. 695(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following amendments to correct the typographical errors in the existing Recruitment Rules for the post of Deputy Custodian of Enemy Property notified vide Notification No. G.S.R 613(E), dated 30th July, 2012:—

"The eligibility conditions for deputation in Col. 11 of the existing Recruitment Rules are substituted as under in place of the existing provisions: —

Deputation:

Officers of the Central Government —

(a) (i) holding analogous posts in the parent cadre

or

(ii) with five years regular service in pay band-3 (Rs. 15600-39100) and grade pay of Rs. 5400/-

or

(iii) with six years of regular services in pay-band-2 (Rs. 9300-34800) and grade pay of Rs. 4800/-

or

(iv) with seven years of regular service in pay band-2 (Rs. 9300-34800) and grade pay of Rs. 4600/-

Note 1 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

Note 3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommended has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation."

[F. No.37/17/2008-EP]

K.K.PATHAK, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.